ICICI Bank

एनबीसीसी प्लेस प्रगति विहार, नई दिल्ली-110003

पंजीकृत कार्यालय, आईसीआईसीआई बैंक टॉवर, चकली सर्किल के पास, ओल्ड पड्रा रोड, वडोदरा-390007
कॉर्पोरेट कार्यालय, आईसीआईसीआई बैंक टॉवर्स, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051

सार्वजनिक सूचना-प्रतिभूत संपत्तियों की निविदा व नीलामी बिक्री हेतु

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री

यत: अद्योहस्ताक्षरकर्ता आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (**"आईसीआईसीआई बैंक"**) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक वैधानिक मांग सूचना उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत दिनांक 21.08.2017 को **मैसर्स नटराज मार्बल्स (ऋणी), श्री सुनील लाखोटिया (नटराज मार्बल्स के /प्रोपराइटर/बन्धककर्ता/व्यक्तिगत जमानतदार) श्री अनिल लाखोटिया, श्रीमती स्नेहलता देवी, श्रीमती पायल देवी (नटराज मार्बल्स के व्यक्तिगत जमानतदार) मंगलम मार्बल्स (नटराज मार्बल्स के कॉरपोरेट जमानतदार) तथा मैसर्स मंगलम मार्बल्स (ऋणी), श्री अनिल लाखोटिया (मंगलम मार्बल्स के/प्रोपराइटर/व्यक्तिगत जमानतदार), श्री सुनील लाखोटिया (मंगलम मार्बल्स के व्यक्तिगत जमानतदार /बंधककर्ता), श्रीमती स्नेहलता देवी, श्रीमती पायल देवी (मंगलम मार्बल्स के व्यक्तिगत जमानतदार), नटराज मार्बल्स (मंगलम मार्बल्स के कॉरपोरेट जमानतदार)** वहां इन्हे आगे संयुक्त रूप से ("नोटिस ग्रहिता") के रूप में सम्बोधित किया गया को निर्गमित किया तथा बाद में निम्नवर्णित संपत्ति ("प्रतिभूत सम्पत्ति") का दिनांक 15.11.2017 तथा 28.05.2018 को भौतिक कब्जा ले लिया गया। इच्छुक व्यक्तियों/प्रतिभागियों से प्रस्ताव ऑनलाईन के जरिये हमारे ई-नीलामी सेवा-प्रदाता **मैसर्स ईजी बिड सॉल्यूशन्स' प्रा. लि.** जरिये वेब पोर्टल https://easybidsolutions.com पर **दिनांक 12.11.2018 (सायं 4.00 बजे तक) को या उस से पहले आईसीआईसीआई** बैंक के कब्जे में निम्नलिखित अचल सम्पत्तियों की "जहां है जैसी है" और "जो है जैसी है बिना दायित्व" के आधार पर निम्न विवरण के अनुसार बिक्री हेतु आमंत्रित किये जाते है।

अनुसूची

लॉट नं.	प्रतिभूत/अचल सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य रू. में	जमा धरोहर राशि रू. में	बोली वृद्धि राशि (रू. में)	संपत्ति निरीक्षण की दिनांक व समय	ई-नीलामी की दिनांक व समय	धरोहर राशि जमा कराने की अंतिम दिनांक
1.	श्री सुनील लाखोटिया के नाम से व्यवसायिक सम्पत्ति क्षेत्रफल 2258.67 वर्गगज खसरा नं. 545/1/1, खोड़ा गणेश रोड़, मदनगंज किशनगढ़-305801 में स्थित।	4,61,70,000.00	46,17,000.00	1,00,000.00	02, नवम्बर 2018 (दोपहर 01:00 से दोपहर 03:00 बजे)	13,नवम्बर 2018 (प्रातः 11:00 से दोपहर 12:00 बजे)	12,नवम्बर 2018 सांय 04:00 बजे तक
2.	श्री सुनील लाखोटिया के नाम से औद्योगिक सम्पत्ति 3 बीघा (5808 वर्गगज) खसरा नं. 171/2, रकबा नं. 40-10-03, किशनगढ़ जयपुर हाईवे, मदनगंज किशनगढ़-305801	2,15,90,000.00	21,59,000.00	1,00,000.00	02, नवम्बर 2018 (दोपहर 01:00 से दोपहर 03:00 बजे)	13,नवम्बर 2018 (प्रातः 11:00 से दोपहर 12:00 बजे)	12,नवम्बर 2018 सांय 04:00 बजे तक
3.	श्री सुनील लाखोटिया के नाम से रिहायशी प्लॉट क्षेत्रफल 400 वर्गगज प्लॉट नं. 119 एवं 120, फ्रेण्ड्स कॉलोनी, खोड़ा गणेश रोड़, मदनगंज किशनगढ़-305801	47,90,000.00	4,79,000.00	1,00,000.00	02, नवम्बर 2018 (दोपहर 01:00 से दोपहर 03:00 बजे)	13,नवम्बर 2018 (प्रातः 11:00 से दोपहर 12:00 बजे)	12,नवम्बर 2018 सांय 04:00 बजे तक
4.	श्री सुनील लाखोटिया के नाम से रिहायशी प्लॉट क्षेत्रफल 200 वर्गगज प्लॉट नं. 121, फ्रेण्ड्स कॉलोनी, खोड़ा गणेश रोड, मदनगंज किशनगढ़-305801	37,55,000.00	3,75,500.00	1,00,000.00	02, नवम्बर 2018 (दोपहर 01:00 से दोपहर 03:00 बजे)	13,नवम्बर 2018 (प्रातः 11:00 से दोपहर 12:00 बजे)	12,नवम्बर 2018 सांय 04:00 बजे तक

नियम व शर्तें:-

1. यत: प्रतिभूत लेनदार आईसीआईसीआई बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त सुरक्षित संपत्तियों का निपटारा करने का निश्चय किया है तथा इस संदर्भ में बिक्री का यह नोटिस आज प्रकाशित किया गया है कि उपरोक्त अनुसूचि में वर्णित प्रतिभूत संपत्तियों की ऑनलाईन नीलामी के जरिये दिनांक 13.11.2018 (प्रत्येक संपत्ति के समक्ष वर्णित समय के दौरान) को बेच दी जायेंगीं।
2. ऑनलाईन नीलामी, नीलामी एजेन्सी की वेबसाईट **www.easybidsolutions.com** पर दिनांक 13.11.2018 को प्रातः 11:00 से दोपहर 12:00 बज के मध्य आयोजित की जायेगी। ऑनलाईन नीलामी **मैसर्स ईजी बिड सोल्यूशन्स प्रा. लि.** के जरिये आयोजित की जाएगी तथा यह निविदा दस्तावेज में निहित नियमों व शर्तों के अधीन होगी।
3. बन्धककर्ता/नोटिस ग्रहिता को विशेषतया तथा जनसामान्य को साधारणतया सचेत किया जाता है कि वे उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत संपत्ति में कोई लेनदेन ना करें तथा सुरक्षित संपत्ति में किया गया कोई लेनदेन आईसीआईसीआई बैंक लि. की राशि एवं अन्य ब्याज के अधीन होगा।
4. बन्धककर्ता/नोटिस ग्रहिता को अंतिम मौका दिया गया है कि वे **नटराज मार्बल्स के कुल बकाया रू. 6,24,36,656.50 (रूपये छ: करोड चौबीस लाख छत्तीस हजार छ: सौ छप्पन एवं पचास पैसे मात्र) तथा मंगलम मार्बल्स के कुल रू. 2,86,23,516.25/- (रूपये दो करोड छियासी लाख तेईस हजार पांच सौ सौलह एवं पच्चीस पैसे मात्र)** दिनांक 30 जून, 2017 तक बकाया है उसके पश्चात अनुबंधात्मक ब्याज की दर से आगे का के ब्याज तथा अन्य खर्चे कुल वसूली होने तक का भुगतानकर दें। बंधककर्ताओं/नोटिस ग्रहिता द्वारा उक्त बकाया का भुगतान दिनांक 12.11.2018 को या उस से पूर्व किया जाना है ऐसा करने में असमर्थ रहने पर अनुसूची के अनुसार सुरक्षित सम्पत्तियों की बिक्री कर दी जायेगी।
5. धरोहर राशि संपत्ति के आरक्षित मूल्य के 10% के बराबर होगी जो दिनांक 12.11.2018 को सांय 04:00 बजे तक मुहरबन्द लिफाफे में **"श्री सुनील लाखोटिया की अचल संपत्ति को खरीदने हेतु प्रस्ताव"** उपलिखित श्री राजेन्द्र शर्मा आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एनबीसीसी प्लेस, भीष्मपितामह मार्ग, लोधी रोड़, प्रगति विहार, नई दिल्ली-110003 पर जमा होनी आवश्यक है। धरोहर राशि का पे-ऑर्डर/डिमाण्ड ड्रॉफ्ट अनुसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंक पर आहरित **"आईसीआईसीआई बैंक लि."** के पक्ष में नई दिल्ली पर देय होनी चाहिए। धरोहर राशि यदि बोली सफल नहीं होती है तो लौटाने योग्य है।
6. सफलतम बोलीदाता को प्रस्तावित मूल्य का धरोहर राशि घटाने के उपरान्त 25 प्रतिशत राशि 2 दिवसों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी आईसीआईसीआई बैंक लि. को भुगतान करनी होगी तथा शेष 75 प्रतिशत तथा अन्तिम राशि आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विक्रय पुष्टि के 15 दिवसों के भीतर भुगतान करनी होगी। पे-ऑर्डर/डिमाण्ड ड्रॉफ्ट /चैक/अनुसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंक पर आहरित "आईसीआईसीआई बैंक लि." के पक्ष में नई दिल्ली पर देय होनी चाहिए। आयकर नियमों के अनुसार नीलामी राशि का 1 प्रतिशत टीडीएस सफलतम नीलामीक्रेता द्वारा देय है। जिसका क्रय मूल्य रूपये 50 लाख से अधिक हो।
7. अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार उपरोक्त अनुसूची में वर्णित सुरक्षित संपत्तियों का विवरण सही है, जिसके लिए वह किसी भी गलती, गलत बयानबाजी या त्रुटि हेतु वह उत्तरदायी नहीं होगा। निविदाकर्ता/प्रस्तावकर्ता/संभावित बोलीदाता/क्रेता को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियां प्रभारों सहित बेची जायेगी तथा किसी भी वैधानिक अधिकरण या अन्य किसी व्यक्ति को (यदि कोई है तो) "जहां है जैसी है जो है जैसी है तथा बिना संसाधनों के आधार पर" को देय बकाया हेतु यह प्रार्थना की जाती है कि वे स्वयं के हित में, उपरोक्त के संबंध में तथा अन्य उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों हेतु संबंधित विवरण के लिए अपने प्रस्ताव जमा कराने से पूर्व संतुष्ट कर लें।
8. किसी भी अन्य स्पष्टीकरण यथा निरीक्षण, नीलामी की नियम व शर्तों या निविदा जमा कराने हेतु कृपया श्री राजेन्द्र शर्मा अथवा श्री करन कक्कड़, प्राधिकृत प्रतिनिधि आईसीआईसीआई बैंक लि. मो. +91 9899028400 तथा मो. +91 7042792970 या लिखें rajendra.sharma@icicibank.com/karan.kakkar@icicibank.com तथा/अथवा श्री पंकज, श्री अनिश एवं सुश्री स्वाति ग्रोवर इजी बिड सोल्यूशन से मो. +91 9654980563, +91 96549-80564 तथा +91-98102-16124 संपर्क संख्या 011-28758001/002/003 पर संपर्क करें।
9. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये एवं सूचना के समस्त अथवा किसी एक बोली को निरस्त अथवा रदद करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है।
10. इस विक्रय सूचना के अंग्रेजी एवं स्थानीय समाचार पत्र के प्रकाशन में कोई विसंगति होने पर ऐसी स्थिति में अंग्रेजी समाचार पत्र को स्थानीय भाषा के समाचार पत्र के उपर प्राथमिकता दी जायेगी तथा उसे अस्पष्टता को दूर करने हेतु अन्तिम प्रति माना जायेगा।

सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम9(1), के तहत 15 दिनों की वैधानिक सूचना

ऋणीयों/जमानतदारों/बन्धककर्ता को एतद् द्वारा दोबारा अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित राशि, अद्यतन ब्याज एवं सहायक खर्चो सहित का भुगतान ई-नीलामी दिनांक से पूर्व करें अन्यथा उक्त प्रतिभूत सम्पत्ति को नीलामी द्वारा बेच दिया जायेगा और शेष देय राशि यदि कोई है तो ब्याज एवं लागत सहित वसूल की जायेगी। यदि किसी भी कारण से नीलामी असफल हो जाती है तो बैंक को उपरोक्त बंधक संपत्ति को उधारकर्ताओं/जमानतदाताओं/ बंधककर्ताओं को बिना किसी पूर्व सूचना के निजी संधि द्वारा सरफेसी अधिनियम व इसमें वर्णित प्रावधानों के अनुसार बेचने की छूट होगी।

हस्ताक्षर, प्राधिकृत अधिकारी
वास्ते आईसीआईसीआई बैंक लि.

दिनांक- 27.10.2018 स्थान- किशनगढ़